जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./11/डी–1073 दिनांकः–9-8-11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 79वीं बैठक दिनांकः 25.07.11 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		79:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 78वीं बैठक दिनांक 27.06.11 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 78वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 78वीं बैठक दिनांक 27.06.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 78वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
2.	6	79:2	लोहामण्डी में हार्डवेयर एसोसियेशन के कार्यालय को आवंटित 300.00 वर्गमीटर भूखण्ड पर माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण उसके स्थान पर 247.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु।	एलपीसी की 10वीं बैठक दिनांक 02.09.03 में हार्डवेयर एसोसियेशन को 300 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई थी जिस पर माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण संस्था द्वारा इसके स्थान पर 247 वर्गमीटर भूमि की मांग की गई। अतः संस्था को उक्त आंवटित भूमि के बदले भूखण्ड सं. बी–18 व बी–19 के बीच पार्क हेतु आरक्षित भूमि को छोडकर अन्य सुविधा क्षेत्र की रिक्त भूमि में से 247 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	12	79:3	आदर्श कच्ची बस्ती ग्राम गोविन्दपुरा, निवारू के भूखण्ड सं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के गैर सर्वेधारी आवंटियों को भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	आदर्श कच्ची बस्ती ग्राम गोविन्दपुरा, निवारू के 8 गैर सर्वेधारी परिवारों (भूखण्ड सं. 2 से 8 तक) को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–9(1)नविवि/3/1995 दिनांक 24.05.99 में वर्णित मापदण्डानुसार आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	9	79:4	अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति, जयपुर को दांतली, सिरोली संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड सं. आई–2 में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन व दर निर्धारण बाबत।	दांतली, सिरोली संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड सं. आई–2 में से 2000 वर्गमीटर भूमि 5000/–रू. प्रति वर्गमीटर की दर (रिजर्व प्राईस) पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
5.	13	79:4(1)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अचरोल को मॉडल स्कूल स्थापित करने हेतु सांईस टेक सिटी के भूखण्ड सं. आई–1 आवंटन बाबत।	ग्राम अचरोल के खसरा नं. 1326 में से 5 एकड़ भूमि मॉडल स्कूल स्थापित करने हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6.	13	79:4(2)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुजानपुरा–बस्सी में मॉडल स्कूल स्थापित करने हेतु ग्राम रोहिताशपुरा में भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम रोहिताशपुरा तहसील बस्सी के खसरा नं. 127/112 में से 5 एकड़ भूमि मॉडल स्कूल हेतु आवासीय आरक्षित दर 2800/–रू. प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

प्रति० सत्यापित (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7.	14	79:4(3)	महेन्द्रा लाईफ सपोर्ट सर्विसेज प्रा0 लि0 को ग्राम अचरोल के स्थान पर ग्राम बीलवा में भूमि आवंटन बाबत।	स्टेट मेडिकल प्लानिंग एण्ड रिसोर्स कमैटी ने ईमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीसियन्स एण्ड पैरामेडिक्स ट्रेनिंग ऐकेडमी एण्ड ट्रैनीज हॉस्टल हेतु 2 एकड़ भूमि कोटा रोड पर आवंटन की अभिशंषा पॉलीसी टु प्रमोट प्राईवेट इन्वेस्टमेन्ट इन हेल्थकेयर फैसेलिटीज–2006 के अन्तर्गत की है। संस्था को एलपीसी की बैठक दिनांक 23.03.11 में ग्राम अचरोल में 2 एकड़ भूमि आवंटन की अनुशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया था। संस्था द्वारा मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अचरोल की भूमि उबड–खाबड व अविकसित होने के कारण इसके स्थान पर ग्राम बीलवा में आवंटन करने का अनुरोध किया व ट्रोमा हॉस्पीटल भी बनाया जाने के कारण न्यूनतम 5 एकड़ भूमि आवंटन की आवश्यकता बताई। चूंकि संस्था का रजिस्ट्रेशन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दिनांक 10.06.10 को किया गया है, जिसके आवंटन हेतु राज्य सरकार ही सक्षम है। अतः ग्राम बीलवा के खसरा नं. 2035 में से 2 एकड़ भूमि पॉलीसी टू प्रमोट प्राईवेट इन्वेस्टमेन्ट इन हेल्थ केयर फेसेलिटीज–2006 के पेरा G-a-VII-1-(a) के तहत आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
8.	14	79:4(4)	रोहिणीनगर–तृतीय, आवासीय योजना के आवंटित 9 भूखण्डों के समाने रोड न होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	प्रस्तावानुसार समान माप के समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्ड विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
9.	9	79:4(5)	रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड सं. बी–240 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	रामनगरिया विस्तार योजना के आवंटी श्री रामचन्द्र बालानी को भूखण्ड सं. बी–240 के स्थान पर भूखण्ड सं. 486 से 501, 535 से 542 व 545 से 553 कुल 33 भूखण्डों में से एक भूखण्ड 45 वर्गमीटर माप का जरिये लॉटरी आवंटन का निर्णय लिया गया।
10.	9	79:4(6)	रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड सं. बी–462 से बी–464 व बी–466 से 469 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	एलपीसी की 76वीं बैठक दिनांक 25.04.11 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में पुनः प्लानिंग करवाई जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
11.	9, 10, 11, 14	79:4(7)	रिंग रोड परियोजना में अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे के रूप में 25 प्रतिशत विकसित भूमि/भूखण्ड/ईकजाइचक आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने बाबत।	प्रकरण पर उपायुक्तों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिन्दुवार चर्चा की गई। कुछ प्रस्तावों में संशोधन के सुझाव प्राप्त हुये। उपायुक्त 14 को निर्देशित किया गया कि वह चर्चा अनुसार पत्रावली पर नोट प्रस्तुत करे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 79वी बैठक दिनांक 25.07.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री वी.एस. सुण्डा, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
9.	श्री दिनेश पंवार, उपायुक्त जोन–3	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अनिल जैन, उपायुक्त जोन–6 व 11	विशेष आमंत्रित
11.	श्री औंकारमल सैनी, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
12.	प्रीति माथुर, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
14.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
15.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित